



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941

No. 342]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2019

सं. 40/2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय 7 में संशोधन के संबंध में।

फा.सं. 01/92/180/21/एएम-19/पीसी-VI.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 05.12.2017 से प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय 7 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(i) प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 7.02: प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 7.02 में शब्द 'मूल सीमा शुल्क' का जहां भी उपयोग किया गया है उसे हटा दिया गया है।

(ii) प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 7.06:

मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
<p>ब्रांड दर का निर्धारण</p> <p>ब्रांड दर निर्धारण के लिए एएनएफ-7क और परिशिष्ट-7ड. में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ-7क में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विकास आयुक्त जैसा भी मामला हो, को आवेदन किया जा सकता है। ब्रांड दर के निर्धारण हेतु आवेदन निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:</p> <p>(क) हटा दिया गया है</p> <p>(ख) जहाँ भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क का दावा</p>	<p>शुल्क वापसी दर</p> <p>सामान्यतः शुल्क वापसी की अनुमति राजस्व विभाग द्वारा वापसी अनुसूची में निर्धारित सकल उद्योग दर के अनुसार दी जा सकती है जहां माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी सेन्चेट क्रेडिट का लाभ नहीं लिया गया। तथापि, ब्रांड दर निर्धारण के लिए एएनएफ-7क और परिशिष्ट-7ड. में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ-7क में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विकास आयुक्त जैसा भी मामला हो, को आवेदन किया जा सकता है जहां उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल</p>

एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.06 के अनुसार शुल्क वापसी की ब्रांड दर के रूप में किया जाता है।	या घटकों के लिए शुल्क वापसी की सकल उद्योग दर उपलब्ध नहीं है अथवा यह वास्तव में भुगतान किए गए शुल्क के 4/5 वें भाग से कम है।
---	---

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: निविष्टियों पर भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के रिफंड को अखिल उद्योग दर पर भी अनुमत किया जाता है।

बिद्युत बिहारी स्वैन महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st October, 2019

No. 40/2015—2020

Subject: Amendment in Chapter 7 of the Handbook of Procedures 2015—2020 –regd.

F. No. 01/92/180/21/AM-19/PC-VI.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Chapter 7 of the Handbook of Procedures 2015-20 with effect from 5.12.2017:

(i) **Para 7.02 of HBP:** The words 'basic custom' wherever used in para 7.02 of HBP stands deleted.

(ii) **Para 7.06 of HBP:**

Existing Provision	Amended Provision
<p>Fixation of Brand Rate</p> <p>An application in ANF-7A, along with documents prescribed in ANF-7A & Appendix-7E, may be made to RA or DC concerned, as the case may be, for fixation of brand rate. Application for fixation of Brand rate may be made for the following:</p> <p>(a) Deleted</p> <p>(b) Where basic customs duty paid is claimed as brand rate of duty drawback, in terms of Paragraph 7.06 of FTP 2015-20.</p>	<p>Rate of Drawback</p> <p>Normally, drawback may be allowed as per All Industry Rate fixed by DoR in the Drawback Schedule where no CENVAT credit has been availed by supplier of goods. However, an application in ANF- 7A, along with documents prescribed in ANF-7A & Appendix-7E, may be made to RA or DC concerned, as the case may be, for fixation of brand rate where All Industry Rate of Drawback is not available or same is less than 4/5th of duties actually paid on raw materials or components used in the production or manufacture of the said goods.</p>

Effect of this Public Notice: Refund of drawback of Duty paid on inputs is also allowed on All Industry Rate.

B.B. SWAIN, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Add. Secy.